न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेंवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व इजराय संख्या :– 05 / 2018

डिक्रीदार	बनाम	मद्यून
1. पानी देवी पत्नि मोहनलाल, जाति मेघवाल, निवासी धुंधला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।		1. केसाराम पुत्र चौलाराम 2. पुनाराम पुत्र चौलाराम 3. मिश्रीलाल पुत्र किशनाराम जातिगण तमाम मेघवाल, निवासीगण आलावास तहसील सोजत 4. सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार सोजत

राजस्व ईजराय अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सी0पी0सी0 (तारीख रजू 19.12.2018)

उपस्थितिः–

1. श्री सोहनलाल गोराणा अधिवक्ता डिक्रीदारान उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता मद्यूनान संख्या 3 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

–: आदेश :– दिनांक– 01.10.2019

अधिवक्ता मय मूदई (डिक्रीदार) ने राजस्व ईजराय विरूद्ध मद्यूनान अन्तर्गत आदेश नियम 21 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि डिक्रीदार पानी देवी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाद विधिक सुनवाई निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 को पारित कर सरहद मौजा आलावास खसरा नम्बर 94 व 95 कुल किता 2 रकबा 1.8100 हैक्टर बा0अ0 भूमि में वादीया के हिस्से की खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी करने से प्रतिवादीगण (मद्यूनान) को बावजूद स्थायी निषेधाज्ञा वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को रोका जाकर पाबन्द किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण (मद्यूनान) द्वारा बावजूद निषेधाज्ञा वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त सुदा उक्त भूमि में (मद्यूनान संख्या 3 मिश्रीलाल) बार बार दखलअंदाजी करने हेतु आमादा है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 की पालना करवाये जाने तथा मद्यूनान को गिरफ्तार कर सिविल जेल भिजवाई जाने एवं मदयून की चल व अचल सम्पति कुर्क की जाने तथा न्यायालय की निर्णय व डिक्री की पालना की जाने तथा खर्चा इजराय 5000/– रूपये दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व ईजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर मद्यूनान संख्या 3 को जरिए नोटिसेज तलब किया गया, रिपोर्ट सा0मिसल किया गया। मद्यूनान संख्या 3 मिश्रीलाल की ओर से श्री देवेन्द्र व्यास ने दिनांक 23.07.2019 को वकालतनामा पेश किया, जिन्हे अनेकानेक अवसर जबाब पेश करने हेतु दिये गये। दिनांक 01.10.2019 को श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता मद्यूनान संख्या 3 की ओर से No Intruction plead किया है, बार बार मद्यूनान संख्या 3 को अनेकानेक आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से आज इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

बहस राजस्व ईजराय मुदई सुनी गई। बहस अधिवक्ता मुदई (डिक्रीदार) के दौरान व्यक्त किया कि राजस्व ईजराय के संलग्न राजस्व वाद संख्या 115/2010 पानी देवी बनाम केसाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित मुदई (डिक्रीदार) के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से मद्यूनान (प्रतिवादीगण) को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका गया है। किन्तु (प्रतिवादीगण) मद्यूनान संख्या 3 मिश्रीलाल द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 की पालना नहीं कर दखलअन्दाजी करने पर अमादा है, जिससे स्थाई निषेधाज्ञा पालना करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनों के समर्थन में 2018(3) CJ (Civ.) (Raj.) पेज 1803 से 1807 का न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण पेश किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व ईजराय दस्तावेजात तथा संलग्न निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता मुदई (वादी) पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड़ को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 की प्रति भेजकर नियमानुसार स्थाई निषेधाज्ञा आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस इमदाद पालना करवाये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

–: **आदेश** :–

अतः राजस्व ईजराय आदेश विरूद्ध मद्यूनान संख्या 3 स्वीकार की जाती है। न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2010 पानी देवी बनाम केसाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 की प्रति थानाधिकारी, सोजत रोड़ तहसील सोजत को भेजकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ईजराय अर्थात् उक्त स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय व डिक्री की पालना आप नियमानुसार आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद करवाकर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner